(178)

सं0 सं0 14/एम 11–2/14 – 694 (14)
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाऐं
बिहार, पटना

VII

प्रेषक

डा0 राजधारी रंजन
निदेशक प्रमुख

सेवा में ,

निदेशक,
इंदिरा गांधी हृदय रोग संस्थान,
पटना 800004

पटना, दिनांक 10-6-15

विषयः– **मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 27.5.15 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम–4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि
1	2	3	4
1	कार्तिक कुमार पिता–श्री अशोक पासवान ग्राम–डाक्टर टोली पोस्ट+थाना–मोकामा जिला–पटना रजिस्टेश ननं0–21275/15	हृदय रोग	**I.G.I.C, पटना को दी गई राशी मे सें** ₹ 35,000/–(पैंतीस हजार) स्वीकृत।
2	कंचन कुमारी पिता श्री विनोद कुमार सिंह ग्राम–सरमस्तपुर पोस्ट–चौक सरमस्तपुर थाना–सकरा जिला–मुजफ्फरपुर रजिस्टेशन नं0–21725/15	हृदय रोग	**I.G.I.C, पटना को दी गई राशी मे सें** ₹ 37,000/–(सैंतीस हजार) स्वीकृत।
3	दिनेश कुमार राय पिता–स्व. धरीक्षण राय ग्राम–पो0–बरूही थाना–सहार, जिला–भोजपुर रजिस्टेशन नं0–19313/15	हृदय रोग	**I.G.I.C, पटना को दी गई राशी मे सें** ₹ 90,000/–(नब्बे हजार) स्वीकृत।
4	काजल चौधरी पति–शंभु चौधरी ग्राम–थाना रोड भवदेपुर वार्ड 20, पो0+थाना+जिला–सीतामढ़ी रजि नं0 इ.एम.आर 3276/15	हृदय रोग	**I.G.I.C, पटना को दी गई राशी मे सें** ₹ 49,900/–(उनचास हजार नौ सौ) स्वीकृत।

5	नसीरूद्दीन मियां पिता–मो0 दुखन मियां ग्राम जफरा, पो0–श्रीपुर थाना बेलागंज जिला–गया रजि नं0–16511/15	हृदय रोग	**I.G.I.C, पटना को दी गई राशी मे सें** ₹ 90,000/–(नब्बे हजार) स्वीकृत।
6	परमानन्द सिंह पिता–अम्बिका सिंह ग्राम–चांदी पोस्ट+थाना–बाढ जिला पटना रजि नं0–3396/15	हृदय रोग	**I.G.I.C, पटना को दी गई राशी मे सें** ₹ 49,900/–(उनचास हजार नौ सौ) स्वीकृत।

स्वास्थ्य विभाग के आदेश पत्रांक–634(14) दिनांक 26.5.15 द्वारा आपको आवंटित राशि ₹ 1 करोड़ दी गई है। उसी राशि से उक्त रोगीयों की चिकित्सा स्वीकृत राशि के आलोक में की जाय।

विश्वासभाजन

5/6/15

(डा0 राजधारी रजन)
निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक - 694 (14) पटना, दिनांक - 10.6.15

प्रतिलिपि– संबंधित मरीजों को/आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

5/6/15

निदेशक प्रमुख

सं0 सं0– 14/एम 11–2/14
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाऐं
बिहार,पटना

प्रेषक

डा0 राजधारी रंजन
निदेशक प्रमुख

सेवा में ,

निदेशक,
एस.एस. हौस्पीटल एडं रिसर्च सेंटर,
मलाही पकड़ी, कंकड़बाग पटना 20

पटना, दिनांक.....

विषयः– **मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक **27.5.15** की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम–4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि
1	2	3	4
1	अकालो देवी पति–श्री परशुराम चौधरी ग्राम+पो0–दावा थाना–जगदीशपुर, जिला–भोजपुर	कैंसर रोग	₹ 20,000/–(बीस हजार) स्वीकृत।
2	मो0 उस्मान पिता–मो0 करीम ग्राम–पो0–जलकोढ़ा थाना+जिला–खगड़िया	कैंसर रोग	₹ 20,000/–(बीस हजार) स्वीकृत।
3	दुर्गेश कुमार पिता–सुनील कुमार सिंह ग्राम–जीवछपुर पोस्ट–रूपौली जीवछपुर थाना–गम्हरीया जिला मधेपुरा	कैंसर रोग	₹ 20,000/–(बीस हजार) स्वीकृत।
4	आशा देवी पति–शशी भुषण सिंह ग्राम–गांधीपथ वार्ड नं0–21 पोस्ट+थाना+जिला–सहरसा	कैंसर रोग	₹ 20,000/–(बीस हजार) स्वीकृत।
			कुल ₹ 80,000/–

2. उक्त अनुदानं की कुल राशि **₹ 80,000/–**(अस्सी हजार) रूपये मात्र के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को ''मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष'', चालु खाता सं0 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 850093 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रानिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं0 **5020 418 8262** खाता धारक का नाम–''**निदेशक, एस0एस0 हौस्पीटल एडं रिसर्च सेंटर कंकड़बाग, पटना–20** '' खाते का प्रकार–चालु, बैंक का नाम– **इलाहाबाद बैंक,** शाखा का नाम – **हनुमान नगर, कंकड़बाग, पटना,** RTGS/IFSC कोड सं0 ALLA0212980 में अंतरित किया जाता है।

3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।

4. मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि की उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय। **अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि/यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।**

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन
ह0/–
(डा0 राजधारी रंजन)
निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक पटना, दिनांक

प्रतिलिपि– शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं0...850093.....की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका–2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

ह0/–
निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक - 692(14) पटना, दिनांक – 10-6-15

प्रतिलिपि– लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/सभी संबंधित मरीजों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

9/6/15
निदेशक प्रमुख